



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238552
CG-DL-E-02092022-238552

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3954]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944

No. 3954]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

का.आ. 4130(अ).—भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अधिसूचना का.आ. 3832 (अ) में क्रम संख्या 26 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

26. 18 उच्च फोकस वाले राज्यों में से निम्नलिखित 4 राज्यों के - सदस्य
सचिवों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) को 31.08.2023
तक की अवधि के लिए नामित किया जाता है :-
(क) हिमाचल प्रदेश
(ख) मेघालय
(ग) राजस्थान
(घ) उत्तर प्रदेश

[फा. सं. वी 11011/1/2022-एनएचएम-II (भाग-VIII)]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2022

S.O. 4130(E).—In the Notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, National Health Mission S.O. 3832 (E) dated 30th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- Section (ii), the following entries against Sl. No. 26, shall be substituted as under: -

26. Secretaries (HFW) of 4 States, amongst - Member
18 high focus States, nominated for a period
upto 31.08.2023: -
- (a) Himachal Pradesh
 - (b) Meghalaya
 - (c) Rajasthan
 - (d) Uttar Pradesh

[F. No. V-11011/1/2022-NHM-II (Pt-VIII)]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.